प्रेस नोट **04.06.2022**

गोवध निवारण के कम में दो पिकअप वाहन में कूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रहे 17 राशि गोवंश बरामद, एक तश्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के कम में दिनांक 03.06.2022 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दांडी मोड के पास से दो पिकअप वाहन एक बिना नम्बर दूसरा यूपी 54 टी 4914 में कूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रहे 17 राशि गोवंश जिसमें दो मृत अवस्था, बरामद कर एक तश्कर जमीर पुत्र सत्तार निवासी नसीराबाद खुर्द थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया जामातलासी में उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/22 धारा 420,467,468,471 भादवि0 व धारा 3/5(ए)/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुकूरता अधिनियम का अभियोग व बरामद अवैध तमंचा कारतूस के सम्बन्ध में आयुद्ध अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा उक्त बरामद वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. जमीर पुत्र सत्तार निवासी नसीराबाद खुर्द थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. दो पिकअप वाहन एक बिना नम्बर दूसरा यूपी 54 टी 4914।
2. 17 राशि गोवंश (2 मृत अवस्था में)।
3. एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 303 बोर।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा इटौरा पुल के पास से मु0अ0स0 186/22 धारा 366,376(1),504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र रामकरन राम निवासी भैसरा मौजपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, थाना कोपांगज पुलिस द्वारा नयी बस्ती के पास से मु0अ0सं0 208/22 धारा 354 भादवि0 व धारा 7/8/9/10 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त चन्दन वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा निवासी कुर्थिजाफरपुर थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सिकटिया पुल के पास से मु0अ0सं0 290/22 धारा 147,376,323,504,506 भादवि0 व धारा 3(2) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त रोशन पुत्र गोरखराम निवासी सिकटिया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

दिनांक 01.06.2022 को थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत बनदेवी मार्ग के बगल में खेत में मिलें शव मामले में प्रकाश में आये अभियुक्तगण गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.06.2022 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बढुआ गोदाम से मु0अ0सं0 295/22 धारा 302,3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में प्रकाश में आये अभियुक्तगण प्रकाश पुत्र जगई, सियारू पुत्र रामकरन निवासीगण बढुआ गोदाम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया। पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगणों के बताया कि हम लोग साथ मे ही रहते थे तथा गांजा पिने के विवाद को लेकर हमारे बीच छगडा हुआ जिसमें हम लोगों ने मिल कर उक्त का मार कर खेत मे फेक दिये।

शांति भंग की आशंका में 33 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 04.06.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा रामध्यान, दुर्गविजय निवासीगण अस्तुपुरा, अलकमा निवासी कासिमपुर थाना दक्षिणटोला, थाना घोसी पुलिस द्वारा प्रिंस, वृजेश निवासीगण अमिला थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रामप्रति, विजेन्द्र, अच्देलाल निवासीगण रजपुरा, दीपक कुमार निवासी हीकमा थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रविन्द्र शर्मा, प्रेमसागर निवासीगण मुंशीपुरा, बलजीत, मीरा, सपना निवासीगण परदहा, रतन भारती निवासी रहजनिया थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिवाकर, आशुतोष निवासीगण सीसवा, शिवबहादुर निवासी नुरूल्लाहपुर, विनोद निवासी बहरामपुर, रामानन्द, हरिवंश, राजकुमार निवासीगण सिकडीकोल थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा शिवप्रकाश, जितेन्द्र निवासीगण खीरीया वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा रामजनम, शिवजनम निवासीगण भवराजपुर, रामचन्द्र, पप्पू निवासीगण रानीपुर, देवप्रकाश, रामप्रवेश निवासीगण खीरखाड थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अजय गुप्ता, भरत गुप्ता निवासीगण सरवा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।